

GURUGRAM METRO RAIL LIMITED

Sustainable Multimodal and Resilient Transport for Haryana

Metro Connectivity from Millennium City Centre to Cyber City

Resettlement Action Plan (RAP) Summary

OCTOBER 2026

सारांश

1. परिचय

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना (GMRP) का कार्यान्वयन कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य गुरुग्राम शहर में शहरी सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाते हुए मिलेनियम सिटी सेंटर (MCC) स्टेशन को साइबर सिटी स्टेशन से जोड़ना है। परियोजना के अंतर्गत गुरुग्राम में लगभग 29.05 किमी लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन, 27 मेट्रो स्टेशन, एक डिपो, रेल कोच/रोलिंग स्टॉक तथा विद्युत, दूरसंचार, सिग्नलिंग और नियंत्रण प्रणालियों का निर्माण शामिल है। मुख्य कॉरिडोर MCC से साइबर सिटी तक 27.20 किमी लंबा है और इसमें 26 स्टेशन हैं। इसके अतिरिक्त, बसई गाँव से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 1.85 किमी लंबा एक स्पर तथा एक स्टेशन प्रस्तावित है। परियोजना का वित्तपोषण भारत सरकार (GoI) और हरियाणा सरकार (GoH) की हिस्सेदारी तथा विश्व बैंक और KfW से प्राप्त ऋण द्वारा किया जा रहा है।

संदर्भ की शर्तें (ToR)¹ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, MCC से साइबर सिटी (CC) तक पूरे GMRP कॉरिडोर के लिए पुनर्वास कार्ययोजना (RAP) तैयार की गई है। 29.05 किमी कॉरिडोर और सेक्टर 33 स्थित मेट्रो डिपो का निर्माण तीन सिविल पैकेजों—AC-01², AC-03³ और AC-04⁴—में किया जाएगा। RAP, AC-03 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा AC-01 और AC-04 के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार (DDC) द्वारा अंतिम रूप दिए गए डिजाइन पर आधारित है। पुनर्वास कार्य योजना राष्ट्रीय विनियमों तथा विश्व बैंक के पर्यावरण एवं सामाजिक ढाँचे (ESF) के अनुरूप है। KfW भी विश्व बैंक के ESF का अनुसरण करता है।

2. संभावित प्रभाव

भूमि की आवश्यकता: GMRP के लिए कुल 23.71 हेक्टेयर स्थायी भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 1.54 हेक्टेयर निजी भूमि और 22.17 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। यह भूमि स्टेशन, वायाडक्ट और डिपो के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, निर्माण यादों के लिए अस्थायी रूप से 21 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता है। इसमें से ट्रांसपोर्ट नगर में 11 हेक्टेयर भूमि AC-01 ठेकेदार को सौंपी जा चुकी है। पैकेज-वार भूमि आवश्यकता निम्नलिखित है:

- **AC-01:** 3.34 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 2.90 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.44 हेक्टेयर); इसके अतिरिक्त कास्टिंग यार्ड के लिए अस्थायी रूप से 11 हेक्टेयर।
- **AC-03:** 1.14 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 0.90 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.24 हेक्टेयर); इसके अतिरिक्त कास्टिंग यार्ड के लिए 10 हेक्टेयर, जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है।

¹ RAP प्राथमिकता खंड 1 के लिए DDC द्वारा अंतिम रूप दिए गए डिजाइन (चेनज -593 से चेनज 12603 तक, द्वारका एक्सप्रेसवे स्पर सहित) तथा प्राथमिकता खंड 2 के लिए DPR डिजाइन (चेनज 12604 से चेनज 26650/26637 तक) पर आधारित है। इसमें परियोजना संरक्षण, स्टेशन स्थान तथा प्रवेश/निकास बिंदु शामिल हैं। RAP पूरे GMRP—AC-01, AC-02 और कार्यशाला/मेट्रो डिपो सहित—को कवर करती है और प्रभावों को कम करने के उपाय बताती है। DDC द्वारा अंतिम डिजाइन पूरा होने पर आवश्यकतानुसार RAP को अद्यतन किया जाएगा, ताकि साइट पर कोई कार्य शुरू होने से पहले डिजाइन में हुए बदलाव शामिल किए जा सकें।

² AC-01: मिलेनियम सिटी सेंटर (MCC) से सेक्टर 9 तक मेट्रो कॉरिडोर (चेनज -593 से 12603) तथा सेक्टर 101 की ओर स्पर।

³ AC-03: सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक मेट्रो कॉरिडोर (चेनज 12604 से 26650/26637)।

⁴ AC-04: सेक्टर 33 में कार्यशाला/मेट्रो डिपो।

- **AC-04:** 19.23 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 18.37 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.86 हेक्टेयर)। सरकारी भूमि GMRL को सौंपी जा चुकी है।

प्रभावित संरचनाएँ: GMRP से कुल 275 संरचनाएँ प्रभावित होने की संभावना है। पैकेज-वार विवरण निम्नलिखित है:

- **AC-01 (82 संरचनाएँ):** इनमें 60 निजी स्वामित्व वाली संरचनाएँ हैं—10 शीर्षकधारक (TH), जिनमें एक ट्रस्ट शामिल है, और 50 गैर-शीर्षकधारक (NTH)। NTH में 47 अनौपचारिक कब्जाधारी और MCG से लाइसेंस प्राप्त तीन विक्रेता शामिल हैं। शेष 22 सरकारी या साझा उपयोग की संरचनाएँ हैं, जैसे कार्यालय, चारदीवारी, बस स्टॉप तथा पानी की टंकियाँ/ATM। 82 में से 76 संरचनाएँ पूरी तरह और 6 आंशिक रूप से प्रभावित हैं।
- **AC-03 (128 संरचनाएँ):** इनमें 93 निजी स्वामित्व वाली संरचनाएँ हैं—5 TH और 88 NTH। NTH में 2 अनौपचारिक बसने वाले, 44 अनौपचारिक कब्जाधारी और 42 लाइसेंसधारी विक्रेता शामिल हैं (41 के पास MCG लाइसेंस और एक के पास आबकारी एवं कराधान विभाग का लाइसेंस है)। शेष 35 सरकारी या साझा उपयोग की संरचनाएँ हैं, जैसे कार्यालय, चारदीवारी, बस स्टॉप तथा पानी की टंकियाँ/ATM। 128 में से 121 पूरी तरह और 7 आंशिक रूप से प्रभावित हैं।
- **AC-04 (65 संरचनाएँ):** इनमें 51 संगमरमर की दुकानें और निजी स्वामित्व वाली 14 आवासीय संरचनाएँ शामिल हैं।

प्रभावित संरचनाओं का उपयोग:

- **AC-01 और AC-03:** कुल 210 प्रभावित संरचनाओं में से 20 आवासीय हैं—8 मकान (5 TH के और 3 NTH के) तथा NTH द्वारा उपयोग की जाने वाली 12 झोपड़ियाँ। कुल 126 व्यावसायिक संरचनाएँ हैं, जिनमें 24 दुकानें (7 TH और 17 NTH), हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी एक शराब दुकान लाइसेंस और NTH द्वारा संचालित 101 खोखे शामिल हैं। इन खोखों के संचालकों में एक अनौपचारिक बसने वाला, 56 अनौपचारिक कब्जाधारी और MCG से लाइसेंस प्राप्त 44 विक्रेता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, NTH की 4 संरचनाएँ आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रयोजनों के लिए उपयोग होती हैं तथा 3 अन्य संरचनाओं में 2 चारदीवारियाँ और 1 निर्माणाधीन संरचना शामिल है।
- **AC-04:** 65 संरचनाओं में 51 संगमरमर की दुकानें और किराये पर दी गई 14 आवासीय संरचनाएँ शामिल हैं।

प्रभावित परिवार:

- **AC-01 (67 परिवार):** 9 TH, 1 ट्रस्ट, 50 NTH और 7 किरायेदार।
- **AC-03 (113 परिवार):** 5 TH, 88 NTH और 20 किरायेदार।
- **AC-04 (369 परिवार/हितधारक):** 51 संगमरमर व्यापारी, 50 TH और 268 किरायेदार।

संगमरमर बाजार के 369 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका, क्योंकि संगमरमर व्यापारियों और डिपो क्षेत्र में निजी भूमि के मालिकों ने सहयोग नहीं किया।

पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन एजेंसी 0.86 हेक्टेयर निजी भूमि तथा संगमरमर बाजार के परिवारों का सामाजिक सर्वेक्षण पूरा कर रही है। इन परिवारों का विवरण उपलब्ध होने के बाद उनकी पात्रता सत्यापित

की जाएगी, प्रभावित परिवारों (PAHs) और प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) की सटीक संख्या निर्धारित की जाएगी तथा पुनर्वास कार्य योजना को तदनुसार अपडेट किया जाएगा।

3. पुनर्वास कार्य योजना का उद्देश्य

इस पुनर्वास कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य शमन उपाय लागू करके प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करना है, ताकि प्रभावित व्यक्ति अपनी आजीविका बहाल कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें, अथवा परियोजना के कारण विस्थापन के बाद कम-से-कम अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रख सकें। यह पुनर्वास कार्य योजना पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) के निष्कर्षों पर आधारित है। ESIA में निजी भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ अधिकार-मार्ग (RoW) के भीतर अतिक्रमण और अनौपचारिक कब्जों से संबंधित प्रभावों का आकलन किया गया है।

4. जनगणना एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में 154 परिवारों (HHs) को शामिल किया गया, जिनकी कुल जनसंख्या 852 थी। सबसे बड़ा आयु वर्ग 19-45 वर्ष का था, जो कुल जनसंख्या का 46.24% था। लिंग अनुपात लगभग संतुलित था—52.58% पुरुष और 47.42% महिलाएँ। अधिकांश परिवार (77.92%) एकल/न्यूक्लियर परिवार थे और औसत परिवार आकार 5.53 सदस्य था। सर्वेक्षण की गई जनसंख्या में 86.36% हिंदू, 11.04% मुस्लिम और 2.60% सिख थे। सामाजिक संरचना में 40.91% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 33.77% सामान्य वर्ग और 25.32% अनुसूचित जाति (SC) शामिल थे।

शैक्षिक स्थिति के अनुसार, 32.16% जनसंख्या निरक्षर थी और 19.72% ने हाई स्कूल पूरा किया था। लगभग 10% लोग स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त थे। लगभग 25.82% जनसंख्या कार्यरत थी, जिनमें अधिकांश व्यवसाय/व्यापार (19.13%) में लगे थे; कुछ लोग श्रम और सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे। शेष अधिकांश विद्यार्थी, गृहिणियाँ/गृहकार्य करने वाले या बुजुर्ग थे। कमजोर/संवेदनशील समूहों में बुजुर्ग, विधवाएँ, दिव्यांग व्यक्ति और महिला-प्रधान परिवार शामिल थे; ये कुल जनसंख्या का लगभग 9.62% थे।

जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार 50 संवेदनशील परिवार हैं: 32 SC परिवार, 4 SC एवं बुजुर्ग वाले परिवार, 1 SC एवं महिला-प्रधान परिवार (WHH), 7 बुजुर्ग परिवार, 1 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) एवं बुजुर्ग परिवार, 1 दिव्यांग सदस्य वाला परिवार और 3 महिला-प्रधान परिवार।

संगमरमर बाजार के 369 परिवारों का सर्वेक्षण व्यापारियों और डिपो क्षेत्र में निजी भूमि के मालिकों के सहयोग न करने के कारण पूरा नहीं हो सका। पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन एजेंसी 0.86 हेक्टेयर निजी भूमि और संगमरमर बाजार के परिवारों का सामाजिक सर्वेक्षण पूरा कर रही है। विवरण उपलब्ध होने पर पात्रता सत्यापित कर PAHs और PAPs की सटीक संख्या निर्धारित की जाएगी तथा पुनर्वास कार्य योजना अपडेट की जाएगी।

5. लागू नियामक ढाँचा

परियोजना के लिए लागू नियामक ढाँचे की समीक्षा कर उसे पुनर्वास कार्य योजना में समाहित किया गया है। इसमें उचित मुआवज़े और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act), आपसी बातचीत के माध्यम से निजी भूमि/संपत्ति की प्रत्यक्ष खरीद हेतु GMRL नीति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक मानक 5 (ESS5) शामिल हैं। इस प्रकार GMRP के पर्यावरणीय एवं सामाजिक दस्तावेज़ विश्व बैंक और KfW की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित की जा रही निजी भूमि के संबंध में मुआवज़ा तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सहायता केवल शीर्षकधारक परिवारों (TH HHs) तक सीमित है। हालांकि, विश्व बैंक ESF का ESS5 स्वामित्व की स्थिति की परवाह किए बिना सभी प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा और R&R सहायता देने की अपेक्षा करता है। GMRP के अंतर्गत TH, किरायेदार, अनौपचारिक बसने वाले, अनौपचारिक कब्जाधारी, विक्रेता और आजीविका खोने वाले सभी प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा और R&R सहायता प्रदान की जाएगी।

6. पात्रता मैट्रिक्स

यह पात्रता मैट्रिक्स (EM), RFCTLARR अधिनियम, 2013 और विश्व बैंक ESS5 की आवश्यकताओं के अनुसार, सभी श्रेणियों के परियोजना-प्रभावित परिवारों (PAHs) को कवर करने के लिए तैयार किया गया है। सभी पात्र परिवारों को पाँच व्यापक श्रेणियों में सहायता मिलेगी: (1) भूमि, फसल और पेड़ों के नुकसान के लिए प्रतिस्थापन लागत पर मुआवज़ा; (2) आवासीय, व्यावसायिक तथा आवासीय-सह-व्यावसायिक संरचनाओं और अन्य अचल परिसंपत्तियों के लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग (PWD) की मूल दर अनुसूची (BSR) के अनुसार, संरचना पर मूल्यहास लागू किए बिना मुआवज़ा; (3) व्यवसायिक आय, मजदूरी आय या कृषि-आधारित आजीविका के नुकसान के बदले सहायता, जिसमें आय बहाली सहायता भी शामिल है; (4) स्थानांतरण सहायता; तथा (5) सामुदायिक या साझा संपत्ति संसाधनों और सुविधाओं की बहाली अथवा पुनर्निर्माण।

अधिनियम के अनुसार निर्धारित R&R पात्रता राशियाँ जनवरी 2014 के मूल्य स्तर पर आधारित थीं। EM में इन्हें अक्टूबर 2025 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार अद्यतन किया गया है। भुगतान से पहले, संबंधित भुगतान वर्ष में लागू CPI सूचकांक के अनुसार सभी सहायता राशियों को अपडेट किया जाएगा।

अंतिम तिथि (कट-ऑफ तिथि)

- a. **TH:** कानूनी शीर्षकधारकों के लिए कट-ऑफ तिथि, आपसी बातचीत के माध्यम से निजी भूमि/संपत्ति की प्रत्यक्ष खरीद संबंधी GMRL नीति के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि होगी। यदि GMRL प्रत्यक्ष खरीद नीति के तहत बातचीत सफल नहीं होती है, तो RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस स्थिति में कट-ऑफ तिथि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि होगी।
- b. **NTM:** गैर-शीर्षकधारक परिवारों (NTM HHs) के लिए कट-ऑफ तिथि परियोजना की जनगणना एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के पूरा होने की तिथि, अर्थात् 14.02.2024, निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद परियोजना क्षेत्र पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पुनर्वास कार्य योजना के अंतर्गत मुआवज़े, पुनर्वास या आजीविका सहायता के पात्र नहीं होंगे।

ESIA अध्ययन के अंतर्गत जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 14.02.2024 को पूरा हुआ। इसलिए मुआवज़े के लिए NTM की पात्रता की कट-ऑफ तिथि 14.02.2024 है। डिपो के प्रभावित NTM परिवारों तथा GMRP के लिए अतिरिक्त भूमि (स्थायी या अस्थायी) की आवश्यकता वाले मामलों में EM के अनुसार मुआवज़ा दिया जाएगा।

7. संस्थागत ढाँचा एवं कार्यान्वयन व्यवस्था

पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी GMRL की है। प्रभावी समन्वय और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए GMRL को अपने बोर्ड सदस्यों, अधिकारियों, सलाहकारों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा। पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय में सहायता के लिए GMRL ने RITES Limited को नियुक्त किया है। GMRL ने GMRP के ESMP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सामान्य सलाहकार (GC) भी नियुक्त किया है। RITES और GC दोनों की टीमों में सामाजिक विशेषज्ञ शामिल हैं। ESMP और पुनर्वास कार्य योजना की पर्यावरणीय एवं सामाजिक निगरानी वर्ष में दो बार कराने तथा निष्कर्ष GMRL को रिपोर्ट करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी नियुक्त की जाएगी।

8. हितधारक परामर्श

दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच कुल 194 हितधारकों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श किए गए। इनमें 69 परियोजना-प्रभावित व्यक्ति (PAPs), जिनमें संवेदनशील समूह भी शामिल थे; गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) सहित 63 अन्य इच्छुक पक्ष; महिला अधिकारियों सहित 13 पुलिस अधिकारी; और 49 महिला परिवहन उपयोगकर्ता शामिल थे। परामर्श के दौरान मुख्य मुद्दे संभावित आय-हानि, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा मेट्रो स्टेशनों पर लैंगिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित थे।

9. कार्यान्वयन समय-सारणी

पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन में मुख्य रूप से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़े का भुगतान शामिल होगा और इसे परियोजना की समग्र कार्यान्वयन समय-सारणी के अनुरूप किया जाएगा। सभी पुनर्वास गतिविधियाँ, विशेषकर मुआवज़े का भुगतान, किसी भी सिविल कार्य की शुरुआत से पहले पूरी की जाएँगी। नुकसान का आकलन और मुआवज़े का भुगतान परियोजना स्थल ठेकेदारों को सौंपने तथा निर्माण शुरू होने से पहले अंतिम रूप से पूरा किया जाएगा। प्रतिस्थापन लागत के आधार पर पूरा मुआवज़ा दिए जाने से पहले प्रभावित व्यक्तियों का भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। परियोजना सुरक्षा उपायों के अनुपालन में GMRL यह सुनिश्चित करेगी कि सिविल कार्य शुरू होने से पहले सभी मुआवज़े वितरित कर दिए जाएँ। पुनर्वास कार्य योजना का कार्यान्वयन सितंबर 2025 में शुरू हुआ और इसकी अनुमानित कार्यान्वयन अवधि 24 महीने है।

10. पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन की लागत एवं बजट प्रावधान

पुनर्वास बजट EM में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भूमि और प्रभावित संरचनाओं के लिए मुआवज़े का भुगतान शामिल है। R&R सहायता को अक्टूबर 2025 तक के CPI के अनुसार अपडेट किया गया है। भुगतान से पहले सहायता राशियों को भुगतान वर्ष में लागू CPI सूचकांक के अनुसार अपडेट किया जाएगा। बजट में पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन की लागत तथा पुनर्वास कार्य योजना के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक निगरानी एजेंसी की फीस भी शामिल है। पुनर्वास कार्य योजना लागू करने के दौरान अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए कुल पुनर्वास बजट का 10% आकस्मिक व्यय के रूप में रखा गया है। पुनर्वास कार्य योजना प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुल अनुमानित बजट ₹604.72 मिलियन है।

11. शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना से संबंधित प्रश्नों, स्पष्टीकरणों और शिकायतों का उत्तर देने के लिए GMRL ने शिकायत तंत्र (GM) स्थापित किया है। इसका उद्देश्य PAPS/PAHs और अन्य हितधारकों की चिंताओं एवं शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से समाधान करना है। इसमें ऐसे सुधारात्मक उपायों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें शिकायतकर्ता के लिए बिना किसी लागत और प्रतिशोध के भय के शीघ्र लागू किया जा सके।

परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न शिकायतों का निपटारा दो स्तरों पर गठित शिकायत निवारण समितियों (GRCs)—क्षेत्र-स्तरीय GRC और मुख्यालय-स्तरीय GRC—के माध्यम से किया जाएगा। शिकायतें विभिन्न माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं, जिनमें निर्धारित मोबाइल नंबर, ईमेल, पत्र, शिकायत/सुझाव पेटियाँ तथा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लिखित शिकायत देना शामिल है। शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि दो दिनों के भीतर की जाएगी और शिकायत समिति की विस्तृत जाँच के बाद 60 दिनों के भीतर उसका समाधान किया जाएगा। मुआवज़े से संबंधित शीर्षकधारकों/भूमि मालिकों की शिकायतें PRO द्वारा प्राप्त होने के 3 कार्यदिवसों के भीतर LAO को भेजी जाएँगी। शिकायतें +91 93551 11303 या grievances@gmrl.org.in पर दर्ज की जा सकती हैं।

यदि स्थापित शिकायत निवारण तंत्र से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो वह लागू कानूनों के अनुसार किसी भी समय अपने खर्च पर कानूनी उपाय अपना सकता है।

12. निगरानी एवं मूल्यांकन

पुनर्वास प्रभावों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए GMRL परियोजना में पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन की करीबी निगरानी करेगी। इसके लिए एक सुदृढ़ निगरानी ढाँचा स्थापित किया गया है, जिसमें GMRL द्वारा आंतरिक निगरानी तथा एक स्वतंत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक निगरानी एजेंसी द्वारा बाहरी निगरानी शामिल है। GMRL पुनर्वास कार्य योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। RITES Limited पुनर्वास संबंधी मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर GMRL को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद GMRL इन रिपोर्टों की समीक्षा और समेकन कर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्टों में यह आकलन किया जाएगा कि पुनर्वास के उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं, प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका और जीवन स्तर बहाल हुए हैं या उनमें सुधार हुआ है या नहीं, और पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें दी जाएँगी।

13. सितंबर 2026 तक पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन की स्थिति

- AC-01 के NTH परिवारों का सामाजिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पहचान-पत्र जारी करने और माइक्रो-प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।
- पुनर्वास कार्य योजना कार्यान्वयन के तहत परियोजना क्षेत्र में हितधारक परामर्श की चार बैठकें और सड़क सुरक्षा जागरूकता के छह सत्र आयोजित किए गए।
- AC-01 में निर्माण कार्य वर्तमान में सड़क के मध्य भाग (मीडियन) में चल रहा है। इसलिए अब तक कोई NTH परियोजना-प्रभावित परिवार (PAH) प्रभावित नहीं हुआ है।
- भूमि खरीद नीति को हरियाणा सरकार (GoH) ने मंजूरी दे दी है। 1.08 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए मार्च 2026 में प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई और भूमि मालिकों (TH) के साथ बातचीत जारी है।
- संगमरमर व्यापारियों को सेक्टर 33 में मौजूदा स्थान से लगभग 200 मीटर दूर नए नियोजित स्थल पर पुनर्स्थापित किया गया है। 30.09.2026 तक 57 संगमरमर व्यापारियों को नए संगमरमर बाजार में स्थानांतरित किया जा चुका है।
- 22.17 हेक्टेयर स्थायी सरकारी भूमि की कुल आवश्यकता में से 19.15 हेक्टेयर भूमि GMRL को सौंपी जा चुकी है।

- g. पुनर्वास कार्य योजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की स्वीकृति से पहले शुरू होने के कारण, विश्व बैंक के ESF के अनुपालन की समीक्षा और कमियों की पहचान के लिए AC-01 और AC-04 का पर्यावरणीय एवं सामाजिक (E&S) ऑडिट किया गया है। AC-01 और AC-04 की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट तथा सुधारात्मक कार्ययोजना (CAP) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। CAP की स्वीकृति के बाद पुनर्वास कार्य योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय लागू किए जाएँगे।